

प्रपत्र VII
आदेश-पत्र के लिए फार्मेट
(नियम 18 देखें)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, XIII सह विशेष उत्पाद कोर्ट न0-01 गोपालगंज

सिरियल न0- /2024 राज्य बनाम

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम- जमकुमार साह

2. उम्र- 38 वर्ष

3. पिता का नाम- रामजी साह

4. पता- सा0- श्रीपुट कालोनी स्थान- श्रीपुट जिला- गोपालगंज

5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान- श्रीपुट दिनांक 06/03/26 समय 03:05 बजे

6. पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि 06/03/26

पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि, उसने दिनांक 6/3/26 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह श्रीपुट कालोनी स्थान में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा / श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल / शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-37 के अधीन 10000 रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

थी: 06/03/26
गंज: गोपालगंज

Deepak Singh Verma
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, XIII

सह
अनन्य उत्पाद कोर्ट न0-01,
गोपालगंज।